कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 13175/2021 किशन लाल कटारा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.10.2021 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि याचिकार्थी वर्तमान में राउमावि, ननेऊ, ब्लॉक–फलौदी, जिला–जोधपुर में शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर कार्यरत है। याचिकार्थी के कथनानुसार याचिकार्थी टी.एस.पी. क्षेत्र के एस.टी. वर्ग से है, जबकि याचिकार्थी को नियुक्ति हेतु नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र में एस.टी. GEN वर्ग मे आवटन प्राप्त हुआ, जो कि न्याय संगत नही है। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर जोधपुर जिले के स्थान पर उदयपुर जिले के विद्यालयों में रिक्त पद पर पदस्थापन की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.10.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–1971 के अनुसार शारीरिक शिक्षा अध्यापक का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक का पद जिला कैडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर विभाग द्वारा जिलेवार एवं वर्गवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरूद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती वर्ष 2013 में जितने पद जिलेवार/वर्गवार विज्ञापित किये गये हैं, उन जिलों को उतनी ही संख्या मे चयनित अभ्यर्थी को वर्गवार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या तक विकल्प पत्र की प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित जिला एवं आयोग द्वारा निर्धारित वरीयता के अनुसार आवंटित किये गये। शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद हेतु राज्य सरकार द्वारा जिला आवंटन बाबत् प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक 29.03.2016 के अनुसार जिलेवार विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर उस जिले को आवंटित किए जाएंगे। शारीरिक शिक्षा अध्यापक की रिक्तियों (आरक्षण सहित) की गणना जिलेवार ही की जाती है अतः जिले के वर्गवार (सामान्य/आरक्षित श्रेणियाँ यथा महिला/एससी/एसटी/ओबीसी/एसबीसी/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा–परित्यक्ता इत्यादि) विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप वर्गवार मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जिले की प्राथमिकता के अनुसार जिला आवंटित किया जावेगा, के निर्देश दिए गए थे जिसके अनुसार ही जिला आवंटन किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नही की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नही होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं न्यायसंगत नहीं है। उक्तानुसार इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–2/को.के./जोध/13244/2021
दिनांकः 20/01/22

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–विधि) जोधपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक जोधपुर
3. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. याचिकार्थी किशन लाल कटारा, शा.शि.अध्यापक, राउमावि, ननेऊ, ब्लॉक–फलौदी, जिला–जोधपुर **(रजिस्टर्ड)**
6. रक्षित पत्रावली

20/1/22
संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)

Rajasthan Education Department